राजस्व वाद प्रकरण संख्या 2017/00031 भाग्यवंती बनाम श्रीमती अणसी वगै. अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 सपठित धारा 92 ए राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955
(प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
18/7/17	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थिति। प्रार्थना–पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी उभयपक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता श्री अमित श्रीमाली ने बहस में उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी गई कि वादी द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया गया है, उस वाद में दो राजस्व खातों की भूमि को सम्मिलित करते हुये पेश किया है। विधि के प्रावधानों अनुसार अलग–अलग खातों के अलग–अलग वाद प्रस्तुत किये जाने आवश्यक हैं। इस प्रकार दो राजस्व खातों के खातेदार भी भिन्न–भिन्न है, जिससे वादी द्वारा प्रस्तुत एक ही वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज योग्य है। वादी ने उक्त वाद घोषणा का प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया है। विधि अनुसार घोषणा के वाद में सभी सह–खातेदारान को वाद पत्र में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था। इसके बावजूद वादी ने उक्त वाद पत्र में ख.न. 64 व 65 के सभी सह–खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया है, जिससे वादी का वाद आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों अनुसार चलने योग्य नहीं होने से खारिज किय जाने की दलील दी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीपक्ष ने दोराने बहस न्यायालय का ध्यान कानूनी दृष्टांत आर.आर.टी. 2011 (2) पेज नंबर 1432 में पारित निर्णय की ओर आकृष्ट कर दलील दी कि वादपत्र में वादी को यह दर्शाना आवश्यक है कि वादपत्र के कौनसे–कौनसे पक्षकार होंगे। वकील प्रतिवादी की दलीलों का खण्डन करते हुये वादी पक्ष के अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार दवे ने प्रार्थना–पत्र जवाब के तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी गई कि वादग्रस्त भूमि वादिनी की पैतृक संपत्ति है, जिससे अपने पिता के नाम की ग्राम चांचौड़ी में स्थित अलग–अलग खातों की कृषि भूमि के संबंध में उक्त वाद पेश किया है, जो विधि अनुसार कानून के तहत पेश किया है। प्रतिवादीगण का यह कहना गलत है कि दोनों राजस्व खातों के पक्षकार अगर अलग–अलग हैं। सरहद ग्राम चांचौडी, तहसील रानी में वादी व प्रतिवादी संख्या 02 के पिता व प्रतिवादी संख्या 01 पति स्व. बालूसिंह की खातेदारी कृषि भूमि ख.न. 785, 759, 761 संपूर्ण भूमि एवं खसराज नंबर 64, 65 में बालूसिंहजी का आधा हिस्सा विद्यमान है। स्व. बालूसिंहजी के उत्त्तराधिकारी व वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 बालूसिंहजी की संपत्ति से वादी को वंचित रखने से वादी ने उक्त वाद अपने हकूकों की घोषणा का पेश किया है। तथा साथ में अस्थाई निशेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र भी पेश किया है, जिस प्रार्थना–पत्र में माननीय न्यायालय द्वारा रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये हुये हैं। वादी ने अपने पिता बालूसिंहजी की खातेदारी व काश्तसुदा कृषि भूमि पर बतौर वारिसान के हक–अधिकार प्राप्त करने हुते घोषणा खातेदारी व निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है, जिसमें बालूसिंह के तमाम वारिसान को पक्षकार बनाया जा चुका है। वादी का वाद बंटवाड़ा का नहीं है। वादी के वाद का अनुतोष वादी के पिता बालूसिंहजी की खातेदारी भूमि पर वादी का हक घोषित कराने के लिये है। अन्य खातेदारों के खिलाफ कोई हक प्राप्त नहीं करना है एवं न ही वाद पत्र के निर्णय से अन्य खातेदार का हक प्रभावित होगा। जिससे प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी सारहीन होने से खारिज किये जाने की दलील दी गई। पक्षकारों के संयोजन के लिये विधि ने अलग प्रावधान है। प्रतिवादी मात्र न्यायालय समय खराब करने व प्रकरण को लंबा करने की नियत से प्रार्थना–पत्र पेश किया है। इसलिए प्रतिवादी का प्रार्थना–पत्र भारी कोस्ट के साथ खारिज किये जाने की दलील दी गई। उभयपक्ष वकुलाय की बहस एवं आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में वर्णित प्रावधानों पर मनन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से ज्ञात है कि वादिया द्वारा ख.न. 64, 65, 685 एवं खसरा नंबर 758, 759, 761 दो अलग–अलग खातों की भूमि के संबंध में उक्त वाद पेश किया है। जिसमें से ख. न. 64, 65 व 685 के 1/2 हिस्सा के सह–खातेदार विजयसिह, गिरधारी सिंह पिता छोगसिंह हैं जिनको पक्षकार नहीं बनाया गया है। विधि प्रावधानों के अनुसार रेकर्ड में दर्ज सभी सह–खातेदारान एवं अन्य हितबद्ध सभी व्यक्तियों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है, परंतु वादी द्वारा उक्त वाद में ख. न. 64, 65, व 685 के 1/2 हिस्से के सह–खातेदारान को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है। जिसे वादी का उक्त वाद पक्षकारों के कुसंयोजन की वजह से चलने योग्य नहीं है। लिहाजा प्रतिवादी के	

कलेक्टर
(...O.) रानी

राजस्व वाद प्रकरण संख्या 2017/00031 भाग्यवंती बनाम श्रीमती अणसी वगै. अन्तर्गत धारा 89, 188 सपठित धारा 92 ए राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955
(प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज
	प्रार्थना–पत्र पर उक्त वाद को खारिज किया जाना न्यायसंगत प्रतीत है। अतः प्रार्थना–पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा वादी द्वारा ग्राम चांचौड़ी तहसील, रानी में स्थित भूमि ख.न. 64, 65 व 685 एवं ख.न. 758, 759 व 761 कुल रकबा 74 बीघा 03 बिस्वा के संबंध में प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 सपठित धारा 92ए राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955 खारिज किया जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (सिद्धार्थ सान्दू) सहायक कलेक्टर उपखण्ड अधिकारी, रानी (S.D.O.) रानी

राजस्व वाद प्रकरण संख्या 2017/00031 भाग्यवंती बनाम श्रीमती अणसी वगै. अंतर्गत धारा 88, 89, 188 सपठित धारा 92 ए राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955

–: डिगरी बमुकदमें इब्तदाई :–

(ओ. 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय– सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.), रानी जिला– पाली

पिठासीन अधिकारी– श्री सिद्धार्थ सान्दू (R.A.S.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या– 2017/00031

वादीगण:–

1. भाग्यवंती पुत्री श्री बालूसिंहजी धर्मपत्नी श्री मदनसिंहजी जाति–राजपुरोहित आयु–42 वर्ष निवासी–चांचौड़ी हाल निवासी–सेपटावा तहसील–रानी जिला–पाली।

–: विरूद्ध :–

प्रतिवादीगण :–

1. श्रीमती अणची बेवा श्री बालूसिंहजी पुत्र पुनमाजी उर्फ पूतमसिंहजी जाति–राजपुरोहित आयु–75 वर्ष लगभग निवासी–चांचौड़ी, तहसील–रानी, जिला–पाली (राज.)
2. श्रीमती मथराबाई पुत्री बालूसिंहजी धर्मपत्नी श्री केशरसिंहजी जाति–राजपुरोहित आयु–52 वर्ष निवासी–चांचौड़ी हाल निवासी–सोकड़ा, तहसील–बाली, जिला–पाली (राज.)
3. राजस्थान सरकार (भूमिधारी) जरिये तहसीलदार रानी

–: वाद अन्तर्गत धारा– 53, 188, 92ए राज0 काश्त0 अधिनियम :–

मुकदमा नम्बर– राजस्व मूल वाद संख्या– 2017/00031

यह मुकदमा आज वास्ते इनिफिसाल रूबरू हमारे समक्ष वकील वादीगण श्री मुकेश कुमार दवे व वकील प्रतिवादीगण श्री अमित श्रीमाली मुद्धायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि– प्रतिवादी/अप्रार्थी का प्रार्थना–पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा वादी द्वारा ग्राम चांचौड़ी तहसील, रानी में स्थित भूमि ख. न. 64, 65 व 685 एवं ख. न. 758, 759 व 761 कुल रकबा 74 बीघा 03 बिस्वा के संबंध में प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 सपठित धारा 92ए राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955 खारिज किया जाता है। तीज ....मुबलिक.... .....बाबत.... .....खर्चा इस मुकदमे मय सूद व भाहर...... ..... फीस सदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूल पावे तक .... को अदा करें।

बसबब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख– 18 माह 09 सन् 2024 को सादिर किया।

(मोहर: सहायक कलक्टर (SDO) रानी)

दस्तखत
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी
औहदा..................

मुद्धई	रूपयां पैसा	मुद्धायलास	रूपया पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प दजह सबूत		महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बाबत इजराय हुक्मनामा	
बाबत इजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक	
मिजान		मिजान	

नोट– इस खर्चे के फाम पर कुल खर्चा हर दो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावे।